प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2017 को आयोजित विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि नगर निकायों एवं बिहार राज्य जल पर्षद के स्तर पर हर घर नल–जल योजना की लंबित निविदा के शीघ्र निष्पादन हेतु follow up करें। निविदा में जो छोटी–छोटी कमियां रह जा रही है, उसके संबंध में भी दिशानिर्देश निर्गत किया जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि MIS द्वारा तैयार किये गए सॉफ्टवेयर में तत्काल हर घर नल–जल योजना एवं नाली–गली योजना की प्रगति को प्रविष्ट किया जाय।

(अनुपालन :– श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता)

3. निर्देश दिया गया कि नगर निकाय क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी सड़कों यथा पथ निर्माण विभाग की सड़कें, नगर निकाय की सड़कों की वार्डवार, रोड का नाम, रोड की चौड़ाई एवं लंबाई की पूर्ण सूची सभी नगर निकायों से प्राप्त की जाय एवं इसे विभागीय वेबसाईट पर index बनाकर अपलोड की जाय। यथासंभव GIS Map का Coding अपनाया जाय। पथों की सूची प्राप्त करने हेतु एक प्रपत्र तैयार कर सभी नगर निकायों को भेजा जाय। इससे स्ट्रीट लाईट का सर्वे, निश्चय योजना के कार्यान्वयन आदि में सहुलियत होगी।

(अनुपालन :– श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता /आई०टी० मैनेजर)

4. AMRUT योजनांतर्गत पार्क निर्माण की कई योजनाओं की निविदा विभागीय अभियंत्रण शाखा में निष्पादन हेतु लंबित है। निर्देश दिया गया कि इस योजनांतर्गत पार्क निर्माण की लंबित निविदा का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा SLTC एवं HPSC की बैठक आयोजित करके स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता)

5. बिहार राज्य आवास बोर्ड की कंकड़बाग की जमीन, जिसका हस्तांतरण तरणताल के निर्माण हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश प्राप्त हुआ है कि उक्त भूमि पर अब इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव)

6. विभाग में प्राप्त होने वाले आरोप संबंधी सभी पत्रों यथा पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध आरोप, जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध आरोप संबंधी सभी मामले अब प्रशाखा–9 द्वारा निष्पादित किये जाएंगे एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा करके पूरे मामले का प्रतिवेदन अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संबंधित प्रशाखा–1 एवं 5 को उपलब्ध कराएंगे। तदोपरांत संबंधित प्रशाखा द्वारा अग्रेत्तर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–1, 5 एवं 9)

7. प्रशाखा–5 में CWJC के 95 एवं MJC के 20 मामले माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित हैं, जिसमें पैनल अधिवक्ता के पास 47 मामलों में SOF तैयार करने हेतु लंबित हैं। प्रशाखा–10 में CWJC के 32 एवं MJC के 10 मामले लंबित हैं।

निर्देश दिया गया कि सर्वप्रथम MJC मामले में प्रतिशपथ दायर किया जाय एवं लंबित CWJC में भी शीघ्र SOF तैयार कराकर प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रशाखा पदाधिकारी–11 को भी निर्देश दियाा गया कि MJC के लंबित 2 मामलों में प्रतिशपथ पत्र शीघ्र दायर कराना सुनश्चित करें।

सभी प्रशाखाओं द्वारा MJC संबंधी संचिकाओं को वर्तमान सप्ताह में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– सभी प्रशाखा पदाधिकारी)

8. प्रशाखा पदाधिकारी–6 द्वारा बताया गया कि निवेदन समिति की विभाग में 166 मामले अभी तक लंबित हैं, जिसमें से 143 मामले प्रशाखा–2 से संबंधित हैं। इस संबंध में श्री महेन्द्र सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 50 मामलों की कार्रवाई प्रशाखा–2 द्वारा हो गयी है एवं कई मामले में नगर निकाय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित हैं।

प्रशाखा पदाधिकारी–6 को निर्देश दिया गया कि सभी विधानमंडलीय मामलों यथा प्राक्कलन समिति, ध्यानाकर्षण समिति, आश्वासन समिति, निवेदन समिति आदि विधानमंडलीय प्रश्नों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय एवं लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदनों को वर्षवार समेकित करके व्यवस्थित रूप से कम्प्यूटराईज्ड प्रतिवेदन तैयार करके अवलोकन हेतु उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०– 6)**

9. प्रशाखा पदाधिकारी–6 द्वारा बताया गया कि प्रशाखा–6 में एकमात्र सहायक श्री राजीव कुमार कार्यरत हैं, जिसके कारण सभी कार्यों का ससमय निष्पादन एवं अनुश्रवण नहीं हो पाता है।

निर्देश दिया गया कि प्रशाखा–5 से एक सहायक को स्थानांतरित करते हुए प्रशाखा–6 में पदस्थापित किया जाय ताकि विधानमंडलीय कार्यों का त्वरित निष्पादन हो सके।

(अनुपालन :– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

10. मोबाईल टॉवर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका से संबंधित सभी रिट पेटिशनर के नाम के साथ समीक्षा करते हुए संचिका में स्पष्ट प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०– 5)

11. Advertisement Tax नगर निकायों को प्राप्त हो, इसके लिए यथोचित कार्रवाई किया जाय। इस हेतु अन्य राज्यों के advertisement rules का अध्ययन करके, राज्य के नगर निकायों के लिए advertisement rules तैयार करने हेतु शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में Advertisement Tax वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त किए जाते थे, जो अब GST लागू होने के बाद उसमें समाहित हो गये हैं। **(अनुपालन :– श्री के०डी० प्रोज्जवल, उप सचिव)**

12. ULB Structure के साथ बिहार नगर सेवा के कर्मियों के लिए Cadre Rules तैयार किया जाय। इसमें नियमित नगर प्रबंधकों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया एवं योग्यता को भी समाविष्ट किया जाय। इस संबंध में पद सृजन की भी कार्रवाई की जाय।

प्रशाखा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि Cadre Rules तैयार करके इस सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

13. सभी अनुमंडल मुख्यालय, जो वर्तमान में नगर निकाय नहीं है, उसकी सूची (जनसंख्या के साथ) तैयार की जाय एवं नगर पंचायत के रूप में गठन के संबंध में समीक्षा किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)

14. श्री राहुल कुमार, CA को निर्देश दिया गया कि अन्य राज्यों में नगर निकायों में ग्रुप–सी० एवं डी० की नियुक्ति प्राधिकार एवं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाय और एक सप्ताह के अंदर समेकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय। **(अनुपालन :–श्री राहुल कुमार, CA)**

15. निर्देश दिया गया कि NULM योजनांतर्गत कार्यरत CMMU, SMMU आदि का पिछले वर्ष एवं इस वर्ष का Performance Report शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि आश्रय स्थल का estimate पुराने SOR के स्थान पर नए SOR पर बनाया जाय। **(अनुपालन :–श्री संजीव पांडेय, Team Leader, PMC, NULM)**

16. माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर दिनांक 31.08.2017 को आयोजित बैठक में निर्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य सरकार के किसी विभाग की जमीन पर कोई स्लम अवस्थित है तो उक्त जमीन के अंश में Affordable Housing and Slum Re-development Policy के तहत भवनों का निर्माण कराया जाय ताकि एक तरफ आवास की समस्या का निदान हो और ODF की दिशा में भी कार्य हो सके।

निर्देश दिया गया कि इस हेतु Affordable Housing Policy में आवश्यक संशोधन करने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय।

17. निर्देश दिया गया कि हाउसहोल्ड बिन का Standard Quality, साईज आदि का मानक तैयार किया जाय एवं विभिन्न Standards का Upper Limit दर निर्धारण किया जाय तथा इस संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश प्रारूप तैयार करके सभी नगर निकायों को भेजा जाय।

(अनुपालन :–श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

18. वर्तमान में राज्य के कोई भी नगर निकाय पूर्णतः ODF घोषित नहीं हुआ है। इस संबंध में जिले के सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने जिले के नगर निकायों से ODF करने हेतु नियमित रूप से समन्वय किया जाय। **(अनुपालन :–जिले के सभी नोडल पदा०)**

19. विभागीय योजनाओं के निविदा संबंधी TA/TS के निष्पादन के अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट पर एक मॉड्यूल बनाने हेतु पूर्व से निर्देशित किया जाता रहा है, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। इस मॉड्यल में योजना के निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की नियमित रूप से संबंधित अभियंताओं द्वारा प्रविष्टि की जाएगी।

निर्देश दिया गया कि इस शीघ्र यह मॉड्यूल तैयार कर ली जाय।

(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)

20. सभी नगर निकायों में इस माह में अगले शिविर का आयोजन द्वितीय शनिवार (दिनांक 09.09. 2017) को होना निर्धारित है।

इस संबंध में जिले के सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शिविर के आयोजन हेतु अपने प्रभार के जिले के नगर निकायों से समन्वय करेंगे एवं शिविर के दिन अपने प्रभार के नगर निकायों में उपस्थित रहेंगे तथा शिविर की तिथि को ही अप० 05:00 बजे प्रगति प्रतिवेदन ई०–मेल के माध्यम से विभागीय MIS Cell को उपलब्ध कराएंगे एवं नगर निकाय में सामुदायिक शौचालय, मुख्यमंत्री निश्चय योजना आदि का अनुश्रवण एवं समीक्षा बैठक भी करेंगे।

(अनुपालन :– जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)

21. नाली–गली निश्चय योजना एवं पेयजल निश्चय योजना के नोडल पदाधिकारियों का निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं में नगर निकायों एवं बिहार राज्य जल पर्षद में लंबित निविदा के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– श्री प्रेमनाथ, का०अभि० / श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)

22. पेयजल योजना के रखरखाव एवं देखरेख हेतु शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड स्तर पर "वार्ड कमिटी" के गठन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किया जाय। Water user charges की policy को भी शीघ्र बनाया जाय। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(अनुपालन :–श्री सुरेश कुमार तिवारी / श्री के०डी० प्रोज्जवल, उप सचिव)

23. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, Compliance report, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

आई०टी० मैनेजर को निर्देश दिया गया कि विभागीय वेबसाईट पर finance का पेज बनाकर नगर निकायवार ऑडिट रिपोर्ट, internal audit आदि को अपलोड किया जाय तथा Double Entry Accounting की इंट्री हेतु वेबसाईट पर एक मॉड्यूल बनाकर DEAS के कंसल्टेंट को उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन :–प्रशाखा पदा०–7 एवं आई०टी० मैनेजर)

24. प्रशाखावार / कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6/9/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5955 न०वि० एवं आ०वि० / पटना, दिनांक 06/09/17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी / जिले के सभी नोडल पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बुडको / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / Team Leader, PMC (NULM)/SPMG कोषांग / Team Leader, MIS/ Team Leader, DEAS/अभियंत्रण कोषांग / TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/2017

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

➤ **प्रशाखा–01** :–

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ **प्रशाखा–02** :–

1. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :–

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे–छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों / बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बडी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद् का ढॉचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।

- स्वच्छता अनुदान घटक का कडा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर–टू–डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. स्ट्रीट लाईट :–

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सडकों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

3. **पार्क एवं हरियाली विस्तार** :–

- नगर क्षेत्र मे पडने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों मे पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क / हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

4. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–

(i) बिहार के प्रत्येक शहर मे मुहल्लो को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों मे गलियो एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।

(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) सभी शहरी धरों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।

(iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन–सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➢ **प्रशाखा–03** :–

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
2. **जल निसरण** :–

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. **शहरी परिवहन** :–

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने- जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार–विमर्श किया जाय।

4. **सबके लिए शौचालय** :–

- हर घर मे शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन मे खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्त्तमान सूची में छूटे हुए है उनको सम्मलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहॉ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव मे खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार–विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बॉध आदि पर रह रहे हो, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. **सिवरेज की व्यवस्था :-**

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन मे तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बडहिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-**

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :-**

(i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों मे सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
(iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➢ **AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-**

(i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➢ **प्रशाखा–04 :-**

1. **सबके लिए आवास (शहरी) :-**

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।

3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :-**

(i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

- **NULM से संबंधित कार्य :-**

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➢ **प्रशाखा–05 :-**

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग–अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा–5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. <u>नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन</u> :–
   - नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
   - बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।
6. **<u>नगरीय प्रशासन</u>** :–
   - "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
   - नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
   - पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
   - विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनगर्ठन पर विचार किया जाए।
   - Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दो पर कार्रवाई की जाय।
   - अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।
7. **<u>सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020</u>** :–
   (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➢ **<u>प्रशाखा–6</u>** :–

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➢ **<u>प्रशाखा–07</u>** :–

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Doubel Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➢ **<u>प्रशाखा–8</u>** :–

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➢ **<u>प्रशाखा–9</u>** :–

1. RTI के मामलो पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➤ **प्रशाखा–10** :–

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।

- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा–11** :–

1. **शहरों का सुनियोजित विकास** :–
   - मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
   - सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
   - नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को काई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्शा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
   - "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
   - पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
   - 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
   - शहरों के आस–पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
   - "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
   - TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते है।
   - पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
   - पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।
2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–
   (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला–मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।
3. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य** :–

(i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
(ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।